एक बुरे चुनाव का परिणाम

लेखक- आर शेषासयी (कंपनी के निदेशक और कॉर्पोरेट सलाहकार)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

22 मई, 2019

"नागरिक समाज के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने और संस्थानों को मजबूत करने का समय आ गया है।"

17वीं लोकसभा के लिए एक दोषपूर्ण चुनावी अभियान के कारण हुई बर्बादी ने भारत के भविष्य पर एक कष्टप्रद छाया का आवरण फैला दिया है। स्वतंत्र भारत में 10 या इससे अधिक चुनाव देख चुके नागरिक इस बात पर आसानी से सहमत होंगे कि चुनावी राजनीति अतीत में इतनी हद तक नहीं गिरी थी, जितनी अब गिर गयी है। आज सच्चाई और राष्ट्रीय हित पीड़ित हो गये हैं और राजनीतिक दुश्मन का विनाश चुनाव लड़ने का एकमात्र उद्देश्य बन गया है। हालांकि, इन सबके बावजूद आशा की एक किरण है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

इस चुनाव में चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और मतदाता की पसंद को पंजीकृत करने की यांत्रिकी बनी रही। इस आम चुनाव में समग्र चुनावी मतदान 67.11% रहा, जिसके कारण यह ऐतिहासिक बन गया है, साथ ही इस चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तकनीक की किसी भी भौतिक विफलता का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। लेकिन यह लोकतंत्र का मूल्यांकन कम स्तर वाले पैमाने पर करने के बराबर होगा।

हो सकता है कि लोकतंत्र का शरीर अभी भी काफी हद तक स्वस्थ हो, लेकिन प्रत्येक नागरिक के लिए जो परेशानी की बात होनी चाहिए वह लोकतंत्र की आत्मा में व्याप्त भ्रष्टाचार है।

दरारें

भारत के भविष्य के लिए क्या नुकसान हुआ है?

सबसे पहला, संसद की विश्वसनीयता और प्रभावकारिता, जिस संस्था में हमने अपने प्रतिनिधियों को जिस श्रमसाध्य तरीके से भेजा है, वह एक और क्षरण का अनुभव करने के लिए तैयार है। विपक्ष द्वारा आक्रामक व्यवधान की संस्कृति पुरानी हो सकती है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों के आगे राष्ट्र को आगे रखेंगे। संसद कानून बनाने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तभी कर सकती है, जब सांसद पक्षपातपूर्ण हितों से ऊपर उठें।

दूसरा, भारतीय विदेश नीति कुछ हद तक निराश जनक और रक्षात्मक बनी हुई है (बांग्लादेश की मुक्ति के अपवाद के साथ और बालाकोट पर हमला) एक दुष्ट पड़ोसी और क्षेत्र में एक बढ़ती महाशक्ति के बीच बढ़ती साँठ गाँठ ने गैर-उग्रवाद के ढांचे के भीतर एक मुखर नीति के लिए कट्टरपंथी जरूरत को उजागर किया है। इसके लिए सरकार और विपक्ष को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। हालाँकि, दोनों राष्ट्रीय दलों का व्यवहार इस दिशा में आत्मविश्वास बढ़ाने के संदर्भ में बहुत कम है।

एक आर्थिक लिपि

तीसरा, सभी संकेतों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उपभोग की अगुवाई वाली मांग धीमी हो रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में है। बैंकिंग क्षेत्र में खराबी के कारण ट्विन बैलेंस शीट की समस्या नए निवेश को बाधित कर रही है। फिर भी, भारत कम से कम एकल-अंकों की वृद्धि हासिल कर सकता है।

हालांकि, यह उस सरकार पर निर्भर करेगा जो भूमि और श्रम बाजारों में सुधारों के अगले दौर को क्रियान्वित करेगी, अनुपयोगी सब्सिडी में और कटौती करेगी, अवसंरचना में विदेशी एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियाँ बनाएगी एवं विश्व को उत्पादन एवं सेवा प्रदान करने वाले व्यापार को लाभ प्रदान करेगी। नई सरकार को जनता को दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने के लिए

थोड़े समय के लिए आवश्यक दर्द बेचना होगा। इसके लिए जवाबदेह और पारदर्शी होते हुए साहसिक वित्तीय निर्णय लेने होंगे।

चौथा, राष्ट्र में न केवल तेजी से ध्रुवीकरण हुआ है, बल्कि चुनावों ने इसे तर्कसंगत रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए सामने ला खड़ा किया है। सोशल मीडिया ने भी इसमें सहयोग दिया है। चुनावी मौसम में, हर सामाजिक मुद्दे को राजनीतिक विचारधारा के चश्मे से देखा जाता है।

रचनात्मक तर्क-वितर्क की आवश्यकता है

उन्नत सोच के हमारे गौरवशाली इतिहास के बावजूद, समानता और स्वतंत्रता की हमारी संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करना विरासत में मिले सामाजिक पिछड़ेपन के कारण है। सामाजिक सुधार रचनात्मक बहस और असंतोष तथा आधुनिकता के साझा दृष्टिकोण के माहौल में ही हो सकते हैं। तर्क-वितर्क जितना हो सके विचारधारा से दूर होकर संवैधानिक अधिकारों की ओर जाना चाहिए।

पांचवां, लोकतंत्र को स्वायत्त संस्थानों, न्यायपालिका, रक्षा बलों और भारत के चुनाव आयोग के साथ-साथ एक स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज के बीच जाँच और संतुलन की प्रणाली को बेहतर बनाये रखना पड़ता है। इन संस्थानों में से कुछ विषम स्थिति और इस चुनाव में परेशान करने वाली परिस्थितियों के बावजूद इस बात का कोई बड़ा डर नहीं है कि संस्थान स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लेकिन यह मीडिया, विशेष रूप से सोशल मीडिया के बारे में नहीं कहा जा सकता है। राजनीतिक तर्ज पर मीडिया का ध्रुवीकरण और तटस्थता का नुकसान लगभग पूरा होता दिखाई दे रहा है।

क्या इसका मतलब यह है कि हम सामूहिक रूप से अपने भविष्य की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं? इसका जवाब है नहीं, अभी भी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए हमें जल्दी और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा।

नागरिक समाज के लिए भूमिका

सभ्य समाज के लिए वह समय आ गया है कि वह सुधारात्मक कार्रवाई की जिम्मेदारी ले। सहभागी लोकतंत्र को एक सजग और दक्षतापूर्ण नागरिक समाज के माध्यम से जीवित रखा जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय हितों की प्रधानता को सुनिश्चित करे। भारत में एक बहुत सक्रिय और विशाल नागरिक समाज है जिसमें वकालत, नागरिक अधिकार, पर्यावरण और परोपकार के क्षेत्र में कई प्रतिमान हैं। मजबूत और विश्वसनीय नागरिक संगठनों की आवश्यकता है जो निर्वाचित और निर्वाचक के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हैं।

व्यवसाय, कला और प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को नागरिक संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा प्रदान करनी चाहिए। दूसरा, प्रासंगिक संगठनों को संसद और राज्य विधानसभाओं के समुचित और व्यवस्थित कामकाज की मांग के लिए एकजुट होना होगा। नागरिक संगठनों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के मॉनिटर के रूप में कार्य करना एक सार्थक प्रयोग साबित होगा।

तीसरा, उद्योग और व्यापार संगठनों को बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए और व्यापक राष्ट्रीय हितों और संकीर्ण कॉर्पोरेट लाभ से परे वकालत का मुखर एजेंडा बनाना चाहिए।

चौथा, भारत में सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध संगठनों का एक लंबा इतिहास रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए अग्रणी थे। जब बात विधायी मंशा और सामाजिक प्रथाओं के बीच अंतर को खत्म करने की आती है तो संसद कानूनों को तो लागू कर सकती है, लेकिन यह सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक पर अधिक निर्भर करता है। नागरिक समाज को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे आना होगा।

पांचवां, नागरिक समाज को स्वायत्त संस्थानों की अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बल में वृद्धि करनी चाहिए। शायद, इसकी संभावना बहुत कम है कि राजनीतिक वर्ग और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि एक-दूसरे के साथ मिलकर और जिम्मेदार व्यवहार के साथ हम नागरिकों को आश्चर्यचकित करें। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संगठित और सक्रिय सभ्य समाज की मौजूदगी केवल कायापलट के लिए काम करेगी।

GS World
Committed to Excellence

भारतीय निर्वाचन आयोग

क्या है?

- निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है।
- संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी।
- प्रारंभ में, आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
- पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्तूबर, 1989 को की गई थी, लेकिन उनका कार्यकाल 01 जनवरी, 1990 तक ही चला।
- उसके बाद 01 अक्तूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, तब से आयोग की बहु-सदस्यीय अवधारणा प्रचलन में है, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है।
- आयोग को भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति एवं संसद और राज्य विधानपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी तथा चुनाव की देखरेख, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति संविधान के अनुच्छेद-324 तहत प्रदान की गयी है।

निर्वाचक कानून

- **अनुच्छेद-71 तथा 327** - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संसद और राज्य विधानपालिकाओं के चुनावों के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद द्वारा दिया गया है।
- **अनुच्छेद-243K तथा 243ZA**-नगरपालिकाओं, पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण का गठन किया गया है। इनके चुनाव कराने संबंधी कानून राज्य विधानपालिकाएं बनाती हैं।
- **अनुच्छेद-71**- राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के चुनावों से संबंधित सभी संदेहों, विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।
- संसद तथा राज्य विधानपालिकाओं के चुनाव से संबंधित सभी संदेहों तथा विवादों को निपटाने का अधिकार संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय को है। इनमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी है (अनुच्छेद-329)।
- नगरपालिकाओं आदि के चुनावों से संबंधित विवाद के मामलों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार निचली अदालतें करती हैं।
- राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव से संबधित कानून संसद द्वारा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 बनाया गया है। इस अधिनियम की प्रतिपूर्ति राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 द्वारा की गई है और इसके आगे सभी पक्षों पर निर्देश निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाते हैं।
- संसद तथा राज्य विधानपालिकाओं के चुनाव करने संबंधी प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निहित हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मुख्यत: निर्वाचन सूचियों की तैयारी तथा पुनरीक्षण से संबंधित है, जबकि चुनाव के वास्तविक संचालन से संबंधित सभी विषय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों से शासित होते हैं।

क्या है नोटा (NOTA)?

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प दिया गया है, आप चुनाव में अपने पंसद के प्रत्याशी के न होने पर नोटा बटन का प्रयोग कर सकते हैं।
- इंडिया में नोटा 2013 में सुप्रीम कोर्ट के दिये गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ।
- पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जनता को मतदान के लिये नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए।
- भारत नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का 14वाँ देश है।

Committed To

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'भारतीय निर्वाचन आयोग' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

   1. यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है।
   2. वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
   3. इसकी स्थापना जनवरी, 1950 में की गयी थी।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

   (a) 1 और 2
   (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3

1. **Consider the following statements regarding the Election Commission of India-**

   1. It is a permanent constitutional body.
   2. At present it consists of one Chief Election Commissioner and two Election commissioner.
   3. It was established in 1950.

   Which of the above statements are correct?

   (a) 1 and 2
   (b) 2 and 3
   (c) 1 and 3
   (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः- भारतीय शासन व्यवस्था की चुनावी प्रणाली में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाने पर बल देना चाहिए?

(250 शब्द)

Q. What types of steps should be taken to remove the problems present in the election process of Indian administrative system?

(250 Words)

प्रश्नः- भारत के लोकतंत्र में स्वस्थ चुनाव प्रणाली विकसित करने हेतु हालिया आम चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा उठाये गये कदमों की चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. Discuss the measures taken by the Election Commission in recent general election to develop healthy election process in democracy in India. **(250 Words)**

नोट : 21 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।